16-10-23 पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राज एवं वकील प्रतिवादी उपस्थित। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
RAS